मध्यप्रदेश सोसायटी फॉर रूरल लाईवलीहुड्स प्रमोशन

एवं

अशासकीय संस्थाओं के मध्य कार्य विशेष हेतु अनुबंध–पत्र

यह अनुबंध मध्यप्रदेश रजिस्ट्रीकरण अधीनियम, 1973 के अंतर्गत पंजीकृत तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा नियंत्रित संस्था मध्यप्रदेश सोसायटी फॉर रूरल लाईवलीहुड्स प्रमोशन, तृतीय तल, बीज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल (जिसे आगे सोसायटी पढ़ा जाये) के प्राधिकृत प्रतिनिधि श्री कविम भटनागर, राज्य समन्वयक (वित्त एवं प्रशासन) तथा अशासकीय संस्था .... (जिसे आगे संस्था पढ़ा जावे) द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि श्री/श्रीमति/सुश्री ....के मध्य आज दिनांक 25.07.2005 को भोपाल में निम्न तथ्यों एवं शर्तो के आधार पर निष्पादित किया जाता हैः–

चूँकि सोसायटी मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमज़ोर ग्रामीणों को आजीविका उपलब्ध कराने के उद्देष्य से मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना (जिसे आगे परियोजना पढा जावे) के क्रियान्वयन हेतु क्रियाशील है;

और चूँकि इस हेतु अशासकीय संस्थाओं के सहयोग एवं माध्यम से उपरोक्त कार्य संपादित करना है इसलिये सोसायटी द्वारा संस्था के साथ निम्न शर्तो पर यह अनुबंध निष्पादित किया जाता हैः–

1. **अनुबंध की अवधिः** यह अनुबंध दोनों पक्षों के हस्ताक्षर होने की तिथि से लेकर दो वर्ष अथवा परियोजना की समाप्ति जो भी पहले हो, की अवधि के लिए प्रभावषील रहेगा। दोनों पक्षों की सहमति से इस अनुबंध अवधि को बढ़ाया जा सकेगा।

2. **कार्य क्षेत्रः** संस्था द्वारा नियुक्त परियोजना सहायता दल परियोजना को ग्राम समूह ...., ज़िला .... में क्रियान्वित के लिये उत्तरदायी होगा।

3. **कार्य का स्वरूपः** कार्य का स्वरूप सोसायटी/परियोजना/ज़िला परियोजना सहायता इकाई द्वारा समय–समय पर दिये गये दिशा निर्देशों एवं/अथवा स्वीकृत कार्ययोजना के अनुसार होगा। संस्था इन दिशा–निर्देशों तथा/अथवा कार्ययोजना के अनुसार कार्य संपन्न करने हेतु बाध्यकारी होगी। जिला परियोजना सहायता इकाई कार्यो के संपादन में संस्था की सहायता करेगी।

4. संस्था को ग्रामीण क्षेत्र में कार्य प्रारंभ करने हेतु प्रशासकीय प्रबंध व कार्यालयीन व्यवस्थायें स्थापित करनी होंगी ताकि अनुबंध की शर्तों के अनुसार परियोजना का कार्य सुचारू रूप से संपादित किया जा सके। संस्था द्वारा परियोजना सहायता दल के लिए समन्वयक एवं सदस्यों की नियुक्ति सोसायटी द्वारा निर्धारित मापदंडो के आधार पर की जायेगी। नियुक्त किये गए समन्वयक एवं सदस्यों की सूची सोसायटी की जिला परियोजना सहायता इकाई को उपलब्ध कराई जावेगी। परियोजना सहायता दल के किसी भी व्यक्ति की सेवायें समाप्त करने अथवा बदलने से पहले संस्था द्वारा सोसायटी की जिला परियोजना सहायता इकाई से परामर्श करना आवश्यक होगा।

5. संस्था अपने पदाधिकारियों और परियोजना कार्यकर्ताओं तथा अन्य सदस्यों की एक सूची, जिसमें उनके अनुभव एवं शैक्षणिक योग्यता दर्शायी गयी हो, सोयायटी को सौंपेगी ताकि सोसायटी द्वारा संस्था के कार्यकारी दल के सदस्यों की प्रशिक्षण व भ्रमण कार्यक्रमों के लिये आवश्यकता अनुरूप सहायता एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा सके।

6. संस्था को इस अनुबंधानुसार दिये गये कार्य को स्वयं संपन्न करना होगा तथा इस कार्य को पूरा अथवा उसके किसी भी अंश को किसी अन्य संस्था को नहीं दिया जावेगा। यदि संस्था ने यह कार्य अथवा कार्यांश किसी अन्य संस्था अथवा व्यक्ति को सौंपा तो ऐसा कृत्य अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन माना जावेगा।

7. इस अनुबन्ध में निहित उत्तरदायित्वों का निर्वहन सोसायटी को पूरा करना आवश्यक होगा। यदि सोसायटी द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो तद्विषयक लिखित सूचना संस्था द्वारा सोसायटी को दी जायेगी और इस सूचना प्राप्ति के सात दिन के अन्दर सोसायटी को निर्णय करना होगा।

8. **वित्तीय व्यवस्था**

(अ) सोयायटी द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन में सहायता हेतु संस्था को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जावेंगे। इस धनराशि का उपयोग उपरोक्त बिन्दु 3 में वर्णित गतिविधियों के संचालन में सहायता स्वरूप ही किया जा सकेगा। इस धनराशि का वितरण सोसायटी द्वारा समय–समय पर किये गये आकलन एवं समीक्षा के आधार पर स्वविवेक एवं कार्य प्रगति को ध्यान में रखते हुये किया जावेगा।

(ब) प्रशासकीय कार्य हेतु धनराशि उपलब्ध कराने के पूर्व संस्था को सुरक्षा निधि के रूप में रू. पचास हज़ार की बैंक गारंटी दिसंबर 2007 तक की अवधि के लिये सोसायटी को उपलब्ध करानी होगी। यदि बैंक गारंटी इस से कम अवधि की होगी तो उसे शेष अवधि के लिये समयावधि में रिन्यू कराये जाने का प्रावधान रखना होगा।

(स) संस्था अपना एक बैंक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक (ज़िला अथवा उप ज़िला में राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा उपलब्ध न हो तो ज़िला केन्द्रीय सहकारी बैंक अथवा ज़िले की क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक) में खोलेगी जिसकी सूचना एवं खाता क्रमांक सोसायटी को देना होगा ताकि धनराशि वितरण अकाउंट–पेयी चेक द्वारा संस्था को किया जा सके।

(द) संस्था द्वारा प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति अथवा निर्देशानुसार सोसायटी को निर्धारित प्रारूप में प्रगति प्रतिवेदन देना होगा ताकि तद्नुसार सोयायटी द्वारा भुगतान की राषि आवष्यक होने पर पुनर्निधारित की जा सके। ऐसा पुर्ननिर्धारण संस्था को मान्य होगा।

(य) यदि संस्था ने परियोजना कार्य संपादन में किसी भी शर्त का उल्लंघन किया तब ऐसी दशा में सोसायटी को यह अधिकार होगा कि वह अनुबंध समाप्त करते हुये बैंक गारंटी की धनराशि बैंक से प्राप्त कर ले।

(र) संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के तीस दिन के अंदर समस्त आय–व्ययों की मूल अंकेक्षित प्रतिलिपि, पूर्ण व्यय का प्रमाण–पत्र तथा प्रगति विवरण सोसायटी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ताकि उसके पश्चात् संस्था को बैंक गारंटी विमुक्त की जा सके।

9. **प्रचार–प्रसार सामग्री, प्रकाशन आदि**

(अ) संस्था द्वारा शासन की नीतियों और उसकी छवि को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाली प्रचार–प्रसार सामग्री का उपयोग नहीं किया जायेगा। ग़ैर शासकीय स्त्रोतों से प्राप्त प्रचार–प्रसार सामग्री का उपयोग करने से पहले संस्था को उक्त सामग्री की एक प्रति सोसायटी की जिला परियोजना सहायता इकाई को प्रेषित करना होगा।

(ब) इस अनुबंध के अंतर्गत निर्धारित अवधि में संस्था द्वारा विभिन्न कार्यों के लिये तैयार की गयी किसी भी प्रकार की प्रचार–प्रसार सामग्री पर संस्था का कॉपीराईट नहीं होगा अपितु यह सामग्री सोसायटी की बौद्धिक संपत्ति मानी जायेगी।

(स) परियोजना की गतिविधियों में "मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना" का नाम संस्था के नाम के पहले स्पष्टतः प्रदर्शित किया जाना आवश्यक होगा।

(द) संस्था के पदाधिकारियों को समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं अन्य प्रकाशनों में परियोजना के बारे में सकारात्मक समीक्षा एवं विश्लेषण करने की स्वतंत्रता होगी। नीतिगत मुद्दों पर राय व्यक्त करने के पूर्व राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई से मशविरा किया जाना अपेक्षित है।

(य) परियोजना क्रियान्वयन के अनुभवों के आधार पर तैयार केस स्टडी, शोध पत्र तथा अन्य अकादमिक दस्तावेज की दो प्रति सोसायटी को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाना होगी।

10. **निरीक्षण तथा मूल्यांकन**

(अ) इस अनुबंध के अंतर्गत निर्धारित अवधि में संस्था द्वारा चलायी जा रही विभिन्न गतिविधियों का निरीक्षण व मूल्यांकन सोसायटी की राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई एवं जिला परियोजना सहायता इकाई द्वारा अथवा उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति/समिति/संस्था द्वारा किया जा सकेगा।

(ब) सोसायटी इस प्रकार के निरीक्षण तथा मूल्यांकन के माध्यम से संस्था द्वारा किये गये कार्यों की गुणवत्ता, प्रभाव तथा परिणाम का आकलन करेगी जो अंतिम होगा।

11. **प्रगति प्रतिवेदनः** इस अनुबंध के अंतर्गत निर्धारित अवधि में संस्था द्वारा चलायी जा रही विभिन्न गतिविधियों के संबंध में सोसायटी की जिला परियोजना सहायता इकाई को निर्धारित प्रपत्रों में मासिक, त्रैमासिक, अर्ध वार्षिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन देना आवश्यक होगा।

12. **अनुबंध का समापनः** इस अनुबंध में वर्णित किसी भी शर्तों के उल्लंघन की दशा में अथवा कार्य की उचित गुणवत्ता के न होने की स्थिति में अथवा कार्य संपादन में संस्था द्वारा अथवा उनके किसी कर्मचारी द्वारा किये गये व्यवधान की दशा में सोसायटी को अधिकार होगा कि वह संस्था के अनुबंध को तीस दिन की अवधि के नोटिस द्वारा कभी भी समाप्त कर दे। उसे अनुबंध के अनुसार कार्य संपादित करना अनिवार्य है। यदि किसी कारण से संस्था ने कार्य अधूरा छोड़ा तो ऐसी दशा में न केवल सोसायटी द्वारा संस्था की सुरक्षा निधि ज़प्त की जा सकेगी बल्कि सोसायटी को क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार भी होगा तथा शेष कार्य किसी अन्य अशासकीय संस्था द्वारा कराया जा सकेगा। सोयायटी की राशि से निर्मित स्थायी संपत्ति सोसायटी एवं ग्राम सभा के स्वामित्व की मानी जावेगी।

13. संस्था द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में अनुबंधानुसार कार्य संपादन के दौरान केन्द्रीय एवं प्रांतीय अधिनियमों व अन्य कानूनी प्रावधानों का एवं सभी सरकारी एवं स्थानीय आदेशों एवं नियमों का पालन करना होगा जिसमें श्रम नियमों का पालन भी अनिवार्य है।

14. **आरबीट्रेशनः** इस अनुबंध से संबंधित अथवा अनुबंध की किसी शर्त से उद्भूत किसी भी प्रकार के विवाद को कोई भी पक्ष विवाद निराकरण हेतु एकल आरबीट्रेटर को इस आशय का नोटिस दूसरे पक्ष को दे सकेगा। आरबीट्रेटर द्वारा किये गये विवाद का निराकरण/एवार्ड दोनों पक्षों को बंधनकारी एवं मान्य होगा। यह आरबीट्रेटर प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अथवा उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति होंगे एवं आरबीट्रेशन की कार्यवाही 'आरबीट्रेशन एवं कॉन्सीलियेशन एक्ट, 1996' के अंतर्गत भोपाल में संपन्न होगी अर्थात् आरबीट्रेशन का क्षेत्राधिकार प्रमुख सिविल न्यायालय, भोपाल होगा।

यह अनुबंध आज दिनांक 25.07.2005 को भोपाल में उपरोक्त दोनों पक्षों के मध्य निम्न गवाहों के समक्ष निष्पादित किया जाता हैः

गवाह के हस्ताक्षर, नाम व पूरा पता

1. ....

2. ....

(उपेन्द्र शर्मा)
राज्य समन्वयक (वित्त एवं प्रशासन)
मध्यप्रदेश सोसायटी फॉर रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन

(संस्था के प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर, नाम व मोहर)